

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/प्लॉट के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का दिवाद (न्यायिक, राजकीय, पारितोषिक या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी उत्तिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) नवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम की सुविधा करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरी के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निस्सल की जा सकती है ।

एकल छिड़की बैवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 685 दिनांक 24/08/2020

प्राचीन **शुन्दर शरनारी एव (3) श्रीमती अन्धु गुरनानी**
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
 द्वारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No = 14/879 चौपासनी इडमिज
 मदन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9201/- (9201/-)
 जारीये रसीद संख्या 2062/2465, 2466
 दिनांक 24/08/2020 जमा करा दी है ।

दिनांक 24/8/2020

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

(Handwritten signature)
 25/8

जी-1
 आवासीय